न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/71/2014

उनवान

1. भंवर बाई पुत्री दयाशंकर पत्नी जगदीश चन्द्र ब्राह्मण निवासी सुरबाई का मोहल्ला, रावला चौक के पास, आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. मांगीलाल पिता चुन्नीलाल ब्राह्मण निवासी माणक्यास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
2. श्रीमती प्यारी पत्नी मोहन गुर्जर निवासी माणक्यास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
3. नानूराम पिता जोधराज गुर्जर निवासी माणक्यास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
4. बरदीचन्द पिता जोधराज गुर्जर मृतक के बजाय–
   4/1–श्यामलाल पिता स्व0 बरदीचन्द गुर्जर निवासी माणक्यास तहसील माण्डल
   4/2–कालूलाल पिता स्व0 बरदीचन्द गुर्जर निवासी माणक्यास तहसील माण्डल
   4/3–पिंटू पिता स्व0 बरदीचन्द गुर्जर निवासी माणक्यास तहसील माण्डल
   4/4–श्रीमती पारसी पिता स्व0 बरदीचन्द गुर्जर निवासी कोचरिया पंचायत समिति सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा
5. बक्षुराम पिता जोधराज गुर्जर निवासी माणक्यास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा
7. उप पंजीयक पंजीयन कार्यालय माण्डल जिला भीलवाड़ा

——— रेस्पोडण्ट्स

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के
प्रकरण संख्या 155/2011 निर्णय दिनांक 23.01.2014
अधिवक्तागण :–

1. श्री एस0एन0सोमानी , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री आर0एल0जाट,अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं01
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 20.3.2020

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी भंवर बाई एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अनवान का वाद विपक्षीगण के विरूद्ध पेश किया जो प्रार्थी के पक्ष में अवश्य डिक्री होगा।
2. यह कि ग्राम माणक्यास पटवार हल्का भावलास के खाता संख्या 108 की आराजी नम्बर 169 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा , खाता संख्या 125 की आराजी नम्बर 179 रकबा 18 बिस्वा, आ0नं0 212 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, आ0नं0 437 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खाता संख्या 126 की आ0नं0 438 रकबा 1 बिस्वा कुआ कुल कीता 5 कुल रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा भूमि साबिक रेकार्ड में भूरबाई बेवा उदयलाल के नाम से चली आ रही है।
3. यह कि प्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 01 के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है, प्रार्थी के पूर्वज किशोर जी थे जिनका सजरा निम्न प्रकार है–

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

–किशोर–(फौत)

उदयलाल (फौत) — भैरूशंकर(फौत)

भूरबाई पत्नी(ला0ओ0फौत)

चुन्नीलाल(फौत) दयाशंकर(गोदगया) बंशीलाल(अविवाहित फौत)

मांगीलाल पुत्र प्रार्थी

इनमें से अपीलार्थी/अप्रार्थी संख्या 01 के पिता दयाशंकर अपनी नाबालिग अवस्था में आज से करीब 70 वर्ष पूर्व मगन लाल ब्राह्मण साकिन आमेट जिला राजसमन्द के गोद चले गये। दयाशंकर के गोद जाने के बाद भैरूशंकर जी की मृत्यु हुई। दयाशंकर के गोद पिता मगनलाल निवासी आमेट की मृत्यु के बाद मगनलाल जी की आमेट में स्थित आराजी का नामान्तरकरण गोदपुत्र की हैंसियत से विरासत से दयाशंकर पुत्र मगनलाल के नाम से दर्ज हुआ। दयाशंकर के गोद चले जाने से दयाशंकर का अपने जायन्दा पिता भैरूशंकर की आराजीयात में कोई हक हिस्सा कानूनन नहीं रहता है तथा दयाशंकर के वारिसान का भी कोई हक हिस्सा नहीं रहता है।

4. यह कि भूरबाई की मृत्यु 1970 में हो गई एवं चुन्नीलाल जी की मृत्यु 1980 में हो गई। भूरबाई के एक मात्र वारिस प्रार्थी है जो भूरबाई के पति उदयलाल के भाई भैरूशंकर के पौत्र है। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 15(1)(ख) के अनुसार प्रार्थी भूरबाई का प्रथम श्रेणी का वारिस है। भूरबाई की मृत्यु के समय भूरबाई के पति उदयलाल के भाई भैरूशंकर का पुत्र चुन्नीलाल जीवित था।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भूरबाई की मृत्यु के बाद वारिस चुन्नीलाल और चुन्नीलाल की मृत्यु के बाद वारिस प्रार्थी है।

5. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजीयात में अपीलार्थीया/विपक्षी संख्या 01 का कोई हक हिस्सा नहीं है। विपक्षी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से मिलाभगती कर नामान्तरकरण संख्या 501 दिनांक 17.12.2004 को भूरबाई बेवा उदयलाल के बजाय अपना नाम दर्ज करा दिया। सम्वत् 2009 से आज तक की जमाबन्दियों में विपक्षी संख्या 1 का नाम गलत दर्ज चला आ रहा है। आराजीयात जैर बहस पर कभी भी विपक्षी संख्या 1 व उसके पिता दयाशंकर का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रार्थी ने दिनांक 05.02.2011 को जमाबन्दियों की नकलें प्राप्त की तो जानकारी हुई कि आराजीयात जैरबहस विपक्षी संख्या 01 के नाम दर्ज हो गई है। जब विपक्षी संख्या 01 को राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कराने हेतु दिनांक 15.03.2011 को कहा तो साफ मना कर दिया और धमकी दी कि आराजीयात जैर बहस को मैं अन्य को रहन, विक्रय , हस्तान्तरण कर तुम्हें आराजीयात से बेदखल कर दूगां।

6. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षीगण प्रार्थी को प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित आराजीयात से जबरन बेदखल नहीं करे व प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे तथा आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तान्तरण/खुर्दबुर्द नहीं करें व विपक्षी संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को विक्रय/हस्तान्तरण सम्बन्धी दस्तावेज विपक्षी संख्या 07 के यहां पेश करे तो विपक्षी संख्या 07 उसका पंजीयन नहीं करे व विपक्षी संख्या 6 राजस्व रेकार्ड में कोई परिवर्तन नहीं करें।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

7. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

8. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

9. बहस में वकील अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी के पिता दयाशंकर को मगनलाल जी के गोद जाना बताया जो गलत है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दियों में कहीं भी दयाशंकर मुतबन्ना मगनलाल अंकित न होकर दयाशंकर पुत्र मगनलाल अंकित है इससे यह नहीं माना जाएगा कि दयाशंकर मगनलाल के गोद गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी दयाशंकर को गोद मानने में भारी भूल की है।

10. बहस में वकील अपीलार्थी ने यह भी निवेदन किया कि दयाशंकर उसके पिता भैरूशंकर के हक हिस्से की आराजीयात में कानूनी हक हिस्सा रखता था उसी हक हिस्से अनुसार भूरबाई की जायदाद में दयाशंकर का हक हिस्सा था जिससे भूरबाई के निधन के पश्चात अपीलार्थी विपक्षी के नाम नामान्तरकरण खोला गया जो पूरी तरह से सही रूप से विरासत की जांच कर खोला गया है। इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। प्रत्यर्थी के द्वारा न तो नामान्तरकरण संख्या 501 के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई चाराजोही नहीं की । वर्तमान में अपीलार्थीया खातेदार है जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा स्थगन जारी किया है जो विधि विरूद्ध होने से

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपास्त योग्य है। इसकी ताईद में आर.आर.डी. 14.4.2016 पेज 232 नसीब कौर बनाम रामेश्वरी देवी व अन्य(45) निगरानी नं0 3652/श्रीगंगानगर 2015 निर्णय दिनांक 22.12.2015 का न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत किया।

11. प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थीया के पिता दयाशंकर जी मगनलाल जी के यहां भैरूशंकर जी के जीवनकाल में ही गोद चला गया था जिससे दयाशंकर व उसके वारिसान का कोई हक हिस्सा नहीं रहता है परन्तु अपीलार्थीया ने राजस्व अधिकारियों से मिलाभगती करके अपना नाम भूरबाई पत्नि उदयलाल की विरासत के नामान्तरकरण संख्या 501 में मुझ प्रत्यर्थी के साथ अपना नाम खाते में दर्ज करा लिया जो गलत है इस प्रकार गलत इन्द्राज के आधार पर अपीलार्थीया किसी भी तरह से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार भूरबाई का एक मात्र वारिस प्रत्यर्थी मांगीलाल ही है। वाद वर्णित आराजीयात पर अपीलार्थीया व उसके स्व0 पिता दयाशंकरजी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। आज भी मेरा ही कब्जा है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के परिप्रेक्ष्य में उचित होने से अपील अपीलार्थी खारीज फरमाई जावे।

12. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । प्रत्यर्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया । जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपने प्रकरण संख्या 155/2011 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/अपीलार्थीया व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया। प्रत्यर्थी/अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

जवाब प्रस्तुत कर बताया कि प्रकरण में वर्णित आराजीयात नं0 179, 212, 437 ग्राम माणक्यास में स्थित होकर आराजीयात भूरबाई बेवा उदयलाल के निधन के पश्चात राजस्व रेकार्ड में विरासत के नामान्तरकरण संख्या 501 दिनांक 17.12.2004 से खाता भूरबाई की जगह प्रार्थी मांगीलाल पिता चुन्नीलाल एवं जवाबदाता अपीलार्थी भंवरबाई पुत्री दयाशंकर के नाम दर्ज होकर नकल जमाबन्दी सम्वत् 2059 से 2062 में संयुक्त खातेदारी में चला आ रहा है। अपीलार्थीया ने सजरा गलत होना अंकित किया परन्तु सही सजरा क्या है इसकी ताईद में कोई रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष या अपील न्यायालय में भी प्रस्तुत नहीं की है। प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई उसे चुनोती दी गई है। प्रत्यर्थी के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 501 दिनांक 17.12.2004 को निर्णित किया गया उसे किसी न्यायालय में निरस्त कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। वर्तमान रिकॉर्ड ग्राम माणक्यास की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2059 से 2062 में खाता संख्या 128 में आ0नं0 438 गेमु0 चाह एवं खाता संख्या 126 में आ0नं0 179, 212, 437 कुल रकबा 4.17 बीघा भूमि भूरबाई बेवा उदयलाल के बजाय भंवर बाई पुत्री दयाशंकर, मांगीलाल पिता चुन्नीलाल के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज है। इस प्रकार अपीलार्थीया संयुक्त खातेदार है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा एक संयुक्त खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में भारी भूल की है। जैसाकि वकील अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 14.4.2016 पेज 232 नसीब कौर बनाम रामेश्वरी देवी व अन्य(45) निगरानी नं0 3652/श्रीगंगानगर 2015 निर्णय दिनांक 22.12.2015 प्रस्तुत किया है जिससे हम पूर्णतया सहमत है कि एक खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

के द्वारा अपीलार्थीया के विरूद्ध अपने प्रकरण संख्या 155/2011 आदेश दिनांक 23.01.2014 से खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई जो निरस्त योग्य प्रतीत होती है। अतएव–

13. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल के प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण संख्या 155/2011 आदेश दिनांक 23.01.2014 से जारी अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश को खारीज किया जाता है।

14. निर्णय आज दिनांक 20.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.03.20 14:32:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: